

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 624 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, अगस्त, 31, 2021.

सेवा में,

श्री सतीश चन्द्र वर्मा, सहायक जनरल मैनेजर,  
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि०, सी०एन०जी० स्टेशन,  
ग्राम धनुपुरा, 14 कि०मी० माईल स्टोन,  
एन०एच०-24, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-43) के कि०मी० चैनैज 4.420 से 5.820 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में। (प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाइन/53597/2020)

सन्दर्भ:-

विशेष सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी 35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13-04-2021 जो इस कार्यालय को दिनांक 22-05-2021 को प्राप्त हुआ, इस कार्यालय की पत्र सं०-66/14-1 दिनांक 07-07-2021, उ०प्र० शासन का पत्रांक-1096/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 12-08-2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि० 13-04-2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं०-1 से 19(3) तक के संबंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-2501/11-सी० दिनांक 24-05-2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं०-384/2-37-2 (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दि० 14-09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र (5 प्रतियाँ मूल में) तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके:-

1. संरक्षित वन भूमि में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2. सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपालाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3. सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपालाइन हेतु खेदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
4. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरका कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षरण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स नहीं दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण में निर्धारित वांछित धनराशि ₹०-52,647.00/- ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12. भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई०ए०-11(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय

o/c

प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि० 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

परियोजना में 6 ईंच डाया गैस पाइपलाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।

राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:-

(1) सी०एन०जी/गैस पाइपलाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियाँ, जो लगातार गैस पाइपलाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अर्न्तजिला तथा एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण की शर्त यथावत् लागू रहेगी। अतः प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण हेतु अनुपालन कर धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) ऐसी कम्पनियाँ, जो गैस पाइपलाईन के द्वारा केवल एक शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइपलाईन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैस वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करान के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा दस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,

मुरादाबाद।

Sh

पत्रांक

624

(1)/

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

2-

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,

मुरादाबाद।

Sh

o/c